भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 929

उत्तर देने की तारीख 08 फरवरी, 2021

सोमवार, 19 माघ, 1942 (शक)

झारखंड में बीपीएल श्रेणी हेतु कौशल विकास

†929 श्रीमती गीता कोडा:

क्या **कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने झारखंड राज्य में विशेषकर 'गरीबी रेखा से नीचे' की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले युवाओं के कौशल विकास के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) आज की तिथि तक कितने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और इस योजना के अंतर्गत कुल कितने व्यक्तियों/युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य को कुल कितनी निधि आवंटित की गई है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री राज कुमार सिंह)

(क) से (घ) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) और 20 से अधिक अन्य केंद्रीय मंत्रालय और विभाग, 'गरीबी रेखा से नीचे' की श्रेणी में आने वालों सहित समाज के सभी वर्गों के लाभ के लिए कौशल विकास के लिए स्कीम/कार्यक्रम चला रहे हैं। एमएसडीई द्वारा झारखंड राज्य में कार्यान्वित की जा रही कौशल विकास स्कीमों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	स्कीम का नाम	स्कीम से संबंधित ब्योरा
(1)	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)	यह स्कीम युवाओं को अल्पावधि कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने और राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचे (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप अर्हताओं में अनौपचारिक रूप से प्रशिक्षित श्रमबल की पूर्व शिक्षण मान्यता के लिए है। पीएमकेवीवाई 2.0 (2016-2020) के तहत, 19.01.2021 तक, 106.90 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 2.62 लाख उम्मीदवार झारखंड राज्य के हैं। पीएमकेवीवाई 2.0 के दो घटक हैं अर्थात (क) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से कार्यान्वित केंद्र प्रायोजित केंद्र प्रबंधित (सीएससीएम) घटक; और (ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के राज्य कौशल विकास मिशनों के माध्यम से कार्यान्वित केंद्र प्रायोजित राज्य प्रबंधित (सीएसएसएम) घटक। पीएमकेवीवाई 2.0 के सीएससीएम घटक के अंतर्गत निधियों के राज्य-वार आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, पीएमकेवीवाई 2.0

		के सीएसएसएम घटक के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि और इतने ही वास्तविक लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। सीएसएसएम घटक के अंतर्गत 29.60 करोड़ रुपए झारखंड राज्य को संवितरित किए गए हैं।
(2)	जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस)	यह शहरी/ग्रामीण आबादी के सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े और शिक्षा से वंचित समूहों जैसे नव-साक्षर, अर्ध-साक्षर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और लड़कियों, झुग्गी निवासियों, प्रवासी श्रमिकों, आदि को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र स्कीम है। 2018-19 से इस स्कीम के तहत अब तक 6.35 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 7,992 उम्मीदवारों को झारखंड राज्य में प्रशिक्षित किया गया है। वर्तमान में इस राज्य में 4 जेएसएस अर्थात जेएसएस बोकारो, जेएसएस धनबाद, जेएसएस हजारीबाग और जेएसएस रांची प्रचालनरत हैं। इस स्कीम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि आवंटित करने का कोई प्रावधान नहीं है।
(3)	राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस)	यह स्कीम शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और शिक्षुता अधिनियम, 1961 के तहत औद्योगिक प्रतिष्ठानों के उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करके शिक्षुओं की संबद्धता को बढ़ाने के लिए है। अगस्त 2016 में इसकी स्थापना के बाद से अब तक 10.7 लाख शिक्षुओं को इस स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से, 26,688 शिक्षु झारखंड राज्य के हैं। स्कीम के अंतर्गत झारखंड राज्य को आवंटित की गई कुल धनराशि 1.74 करोड़ रुपए है।
(4)	शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस)	यह स्कीम देश भर में 14,788 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से 137 ट्रेडों में दीर्घावधि प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। झारखंड राज्य में 323 आईटीआई हैं। देश भर में अब तक 14.24 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिनमें से 33,475 उम्मीदवार झारखंड राज्य के हैं। इस स्कीम के तहत आईटीआई का प्रशासन संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पास है।
(5)	वाम पक्ष उग्रवाद प्रभावित 47 जिलों में कौशल विकास स्कीम	अन्य बातों के साथ-साथ इस स्कीम में 10 राज्यों के 47 जिलों में 47 नई आईटीआई प्रति जिला एक आईटीआई की स्थापना के लिए और 9 राज्यों के 34 जिलों में 68 कौशल विकास केंद्रों (एसडीसीएस) की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को वित्त-पोषण करने की परिकल्पना की है। इस स्कीम के तहत, झारखंड राज्य में 16 नई आईटीआई और 20 नए एसडीसी स्थापित किए जा रहे हैं। अब तक, आईटीआई और एसडीसी की स्थापना करने के उद्देश्य से 91.11 करोड़ रुपए (केंद्रीय भाग) की आवंटित निधि में से 68.76 करोड़ रुपए (केंद्रीय भाग) झारखंड राज्य को जारी किए गए हैं।
(6)	मौजूदा सरकारी आईटीआई का आदर्श आईटीआई में उन्नयन स्कीम	इस स्कीम के तहत, राज्य में मौजूदा सरकारी आईटीआई को आदर्श आईटीआई में उन्नयन के लिए चुना गया है, जो सर्वोत्तम पद्धतियों, कुशल और उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण प्रदान करने तथा सतत और प्रभावी उद्योग संबंधों को प्रदर्शित करने वाले संस्थान के रूप में विकसित होने वाले हैं। अब तक, इस उद्देश्य के लिए झारखंड राज्य को आवंटित 7.00 करोड़ रुपए (केंद्रीय भाग) की राशि में से 6.30 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।

****